

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक प्रकरण क0-1146 / 07
संस्थित दिनांक 03 / 07 / 2007
फाईलिंग नं0 233504000082007

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियोजन.

-: विरुद्ध :-

देवराव पिता घुड़ल्या पंवार, उम्र 39 वर्ष,
 जाति पंवार, पेशा कृषि, नि0ग्राम हरदौली,
 थाना मुलताई, जिला बैतूल (म0प्र0),

-----अभियुक्त.

-: निर्णय :-

(आज दिनांक-16 / 11 / 2016 को घोषित)

1— अभियुक्त देवराव के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 279, 304 "ए" के तहत अभियोग है कि दिनांक 25.04.07 समय प्रातः 5 बजे आम वाले बाबा के पास रोड रेल्वे कालोनी आमला, थाना आमला में लोकमार्ग पर वाहन टेक्टर कं. एम.पी. 48 एम-2516 को उपेक्षापूर्ण एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा आपने उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन तरीके से टेक्टर चलाकर लाया और जशपाल को टक्कर मार दिया, जिससे जशपाल की मृत्यु कारित हुई, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती।

2— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सुबह 5 बजे और उसका दोस्त जशपाल एवं बल्लु मिश्रा टहलने के लिए हवाई पट्टी तरफ जा रहे थे कि आम वाले बाबा के पास पहुँचे तो सामने से टेक्टर कं. एम0पी0 48/एम-2516 का चालक ट्राली में भूसा भरकर तेज रफ्तार एवं लापरवाही से चलाकर लाया और उसके दोस्त जशपाल को एक्सीडेंट मार दिया, जिससे जशपाल को सीने में और हाथ में अंदरूनी चोट आई जिसे ईलाज हेतु तत्काल सरकारी अस्पताल आमला ले गये। अस्पताल में डॉक्टर साहब ने जशपाल को मृत होना बताया जिसे घर वापिस ले गये टेक्टर चालक एक्सीडेंट के बाद टेक्टर वही मौके पर छोड़कर भाग गया, ड्रायवर का नाम उसे नहीं मालूम, जशपाल की मौत टेक्टर एक्सीडेंट से आई चोटों के कारण हुई है।

3— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 तैयार किया गया। जिसके आधार पर

अप0कं. 124/07 अंतर्गत धारा 279, 304 'ए' भा0द0वि0 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 25/04/07 को अपराध विवरण फार्म प्र0पी0 2 तैयार किया गया, मृत्यु जांच पंचायतनामा प्र0पी0 4 तैयार किया गया, नक्शा पंचायतनामा प्र0पी0 5 तैयार किया गया, शव परीक्षा प्रतिवेदन प्र0पी0 10 तैयार किया गया, दिनांक 25/04/07 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 6 एवं दिनांक 25/05/07 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 8 तैयार किया गया, साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 9 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5— **न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:—**

1— “आपने दिनांक 25.04.07 समय प्रातः 5 बजे आम वाले बाबा के पास रोड रेल्वे कालोनी आमला, थाना आमला में लोकमार्ग पर वाहन टेक्टर कं. एम. पी. 48 एम-2516 को उपेक्षापूर्ण एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया?”

2— “उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन तरीके से टैक्टर चलाकर लाया और जशपाल को टक्कर मार दिया, जिससे जशपाल की मृत्यु कारित हुई जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती।

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :—

विचारणीय प्रश्न क0 1,2 का निराकरण

6— अभियोजन साक्षी एन.के. रोहित (अ0सा06) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 25/04/07 को सी0एच0सी0 आमला में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को जसपाल पिता देवजी चौकीकर शव परीक्षण किया था जिसकी उम्र 40 साल जाति महार नि0 आमला का उक्त शव को थाना आमला के आरक्षक अशोक नं. 139 द्वारा अस्पताल लाया गया था। चोट कं0 1 दाहिने अग्रभुजा की दोनों हड्डी टूटी पाई गयी थी, चोट कं. 2 सिर में माथे दाहिने तरफ 4 गुना 3 से0मी0 आकर का कान्टूजन पाया गया था, चोट कं. 3 दाहिने अग्रभुजा गुना 2 से0मी0 आकार का कान्टूजन पाया गया था चोट नं. 2 दाहिने तरफ की चौथे, पांचवी एवं छटवी एवं सातवी पसली टूटी पायी गई थी और इसे टुकड़े दाहिने फेफड़े में अंदर तक पहुँच गये थे आंतरिक परीक्षण में सिर में खोपड़ी कपाल एवं कसेरुका स्वास्थ्य पाये गये थे मस्तिष्क एवं सिल्ली कंजेस्टेड पाये गये थे में कंट एवं श्वासनली खून पाया गया था, दाहिने फेफड़ा डेमेज पाया गया, दोनों फेफड़े में जमा हुआ खून पाया गया था, हृदय खाली पाया गया था पेट में अधपचा खाना छोटी आत में पीले पदार्थ एवं बड़ी आत में मल पदार्थ पाया गया था, लीवर स्वास्थ्य पाये गये गुर्दा एवं तिल्ली कंजेस्टेड पाये गये थे, चोट कडे एवं भारी बोथरे हथियार से होना पाया गया जो कि

मृत्यु पूर्व की थी एवं जीवन के लिए खतरनाक थी जसपाल की मृत्यु शॉक एवं अत्यधिक रक्त स्त्राव से फेफड़े पर आई चोटों के कारण होना पाई गई इसकी मृत्यु उसके परीक्षण से 12 घंटे के अंदर होना पाई गई, उसकी रिपोर्ट प्र०पी० 10 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस गवाह के द्वारा मृतक के शरीर में पाई गई आंतरिक बाह्य चोट को अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से बताया है और मृतक के शरीर में पाई गई चोटों के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से प्रश्नगत नहीं किया है। साथ ही इस गवाह के द्वारा प्र०पी० 10 की रिपोर्ट को अपनी साक्ष्य से प्रमाणित किया है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना दिनांक को मृतक जसपाल की मृत्यु दुर्घटना में हुई थी जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती।

7— न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय है कि क्या अभियुक्त के द्वारा घटना दिनांक वाहन टेक्टर को चलाकर मृतक जसपाल की मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती। यहां मुख्य रूप से यह विचारणीय है कि क्या घटना दिनांक को अभियुक्त वाहन टेक्टर को चला रहा था, और उसी की उपेक्षा व लापरवाही से दुर्घटना घटित हुई।

8— अभियोजन साक्षी बसंत (अ०सा०1) ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 1 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटना नक्शा मौका प्र०पी० 2 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस गवाह को शासन की ओर से पक्षविरोधी घोषित करने पर इस गवाह ने अ से अ भाग का बयान देने से इंकार किया है। आगे यह भी अस्वीकार किया है कि उसके समक्ष घटना नक्शा मौका प्र०पी० 2 बनाया था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि प्र०पी० 3 का अ से अ भाग दिया था। इस गवाह को प्र०पी० 3 को अ से अ भाग के बयान पढ़कर सुनाए व समझाये जाने पर उसने कहा कि उसने पुलिस को ऐसे बयान नहीं दिये थे पुलिस ने कैसे लिख लिए वह कारण नहीं बता सकता। जबकि यह गवाह प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 1 का साक्षी है। और यह गवाह प्रतिपरीक्षा में प्र०पी० 1 की रिपोर्ट लिखाने से अस्वीकार किया है और मुख्यपरीक्षा में भी घटना घटित होने के तथ्यों को स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य घटना घटित होने की तथ्यों का समर्थन नहीं करती है।

9— अभियोजन साक्षी कन्हैया (अ०सा०2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय वह घर पर था उसे बंसतपाल ने सूचना दिया था कि उसके भाई का टैक्टर से एक्सीडेंट हो गया है टैक्टर वाले ने उसे टक्कर मार दी है। इस गवाह ने प्र०पी० 4 एवं प्र०पी० 5 पर हस्ताक्षर होना बताया है। प्रतिपरीक्षा की कंडिका 7 में इस गवाह ने स्वीकार किया है कि उसने आरोपी को घटना के समय वाहन चलाते हुये नहीं देखा था। आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसे आरोपी का नाम भी नहीं मालूम। जिस वाहन से टक्कर हुआ उसका नम्बर भी नहीं मालूम। आगे इस गवाह ने यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि जिस समय घटना हुई उस समय वह उपस्थित नहीं था। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि इस गवाह ने घटना घटित होते हुये नहीं देखा है। ऐसी परिस्थिति में इस गवाह की साक्ष्य से स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्त के द्वारा घटना कारित की गई है।

10— अभियोजन साक्षी संजय (अ०सा०3) एवं अभियोजन साक्षी राजेश (अ०सा०4) ने अपनी मुख्यपरीक्षा, सूचक प्रश्न में घटना घटित होने के तथ्यों का

समर्थन नहीं किया है।

11— अभियोजन साक्षी नंदकिशोर मिश्रा (अ०सा०५) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 25/04/07 को प्रार्थी बसंतपाल द्वारा थाने में उपस्थित होकर टैक्टर क्र० एम०पी० 48 एम-2516 के चालक के विरुद्ध तेजगति एवं लापरवाही से टैक्टर चलाकर उसके दोस्त जयपाल को टक्कर मारने एवं दुर्घटना से जयपाल की मृत्यु होने की रिपोर्ट दर्ज कराने पर उसने वाहन क्रं. एम०पी० 48 एम 2516 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रं. [124/07](#) अंतर्गत धारा 279, 304 "ए" भा०द०वि० की अपराध दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० लेख किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने उक्त रिपोर्ट का अ से अ भाग प्रार्थी बसंतपाल के बताये अनुसार लेख किया था। उसने उसी दिनांक को घटना स्थल पर जाकर प्रार्थी बसंतपाल की निशानदेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्र०पी० 2 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने उसी दिनांक को मृतक जयपाल के नक्शा पंचायतनामा हेतु गवाहों को सफीना फार्म प्र०पी० 4 तैयार किया था जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने उन्हीं गवाहों के समक्ष मृतक जयपाल के शव का नक्शा पंचायतनामा प्र०पी० 5 तैयार किया था जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12— उसने उसी दिनांक को घटना स्थल से गवाह मनोज एवं राजेश के समक्ष एक टैक्टर क्रं. एम०पी० 48 एम 2516 मय टाली जप्त कर जप्ती पत्रक प्र०पी० 6 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने दिनांक 25/05/07 को गवाह विपिन एवं दीपक के समक्ष टैक्टर क्रं० एम०पी० 48 एम 2516 का रजिस्ट्रेशन, बीमा आरोपी का ड्रायविंग लायसेंस जप्त कर जप्ती पत्रक प्र०पी० 8 तैयार किया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने उसी दिनांक को उन्ही गवाहों के समक्ष आरोपी देवराव गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 9 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान प्रार्थी बसंतपाल गवाह कन्हैया, अनंत के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था जिसमें उसने अपने मन से कुछ जोड़ा या छोड़ा नहीं था। यह गवाह विवेचना अधिकारी हैं। घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं। और प्रकरण में स्वतंत्र गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में इस गवाह के द्वारा की गई कार्यवाही महत्वहीन हो जाती है।

13— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने लोकमार्ग पर वाहन टैक्टर क्रं. एम.पी. 48 एम-2516 को उपेक्षापूर्ण एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन तरीके से टैक्टर चलाकर लाया और जशपाल को टक्कर मार दिया, जिससे जशपाल की मृत्यु कारित हुई जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं 1 व 2 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

14— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने लोकमार्ग पर वाहन टैक्टर क्रं. एम.पी. 48 एम-2516 को उपेक्षापूर्ण एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन तरीके से टैक्टर चलाकर लाया और जशपाल को टक्कर मार दिया, जिससे जशपाल की मृत्यु कारित

हुई जो आपराधिक मानव वद्य की कोटि में नहीं आता। इस प्रकार अभियुक्त देवराव को भा०द०वि० की धारा— 279, 304 "ए" के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

15— प्रकरण में आरोपी के धारा 313 द०प्र०सं० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। आरोपी का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

16— प्रकरण में जप्तशुदा टेक्टर ट्राली कं. एम.पी. 48/एम-2516 को आवेदक/सुपुर्दार उमा पति सुखलाल नरवरे नि० अंबाड़ा थाना आमला की सुपुर्दगी में है। उक्त वाहन के संबंध में किसी अन्य ने दावा नहीं किया है। अतः सुपुर्दनामा आदेश निरस्त किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
आमला, जिला बैतूल म०प्र०